21.03.18 अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित।
तामील रिपोर्ट होकर पत्रावली
आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करें।
अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन
पर सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी
बहस मे मुख्यतः निवेदन किया कि अपीलार्थी
विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध मे राजस्व
रिकार्ड मे खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है
एवं अपने खाते की आराजीयात पर अपने
हिस्से में कृषि कार्य कर रहा है तथा फसल
बो रखी है किन्तु बिना मौके की जाँच करे
एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किये बिना
ही उसकी अनुपस्थिति में बिना ठोस आधार
पर कानून के सुस्थापित सिद्धांतो के
विपरित अपीलाधीन आदेश के माध्यम
से उपयोग-उपयोग हेतु इकतरफा में
प्रतिबन्धित किया गया एवं कानून के
विपरित O39 R3(क) के विपरित उसको
लगातार बताया जाता रहा जबकी
अपीलार्थी द्वारा अपने खाते की आराजी
कभी गैर कृषि कार्य हेतु उपयोग नही
किया गया एवं लगातार कृषि हेतु
उपयोग किया जा रहा है। अधिवक्ता
अपीलार्थी ने अपनी बहस मे आगे
निवेदन किया कि के.सी.सी ऋण हेतु
रिकार्ड निकलवाने पर अपीलार्थी को
अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई, जिससे
अपीलार्थी द्वारा यह अपील धारा-5 कानून
मियाद प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की
गई है, जिसे न्यायहित मे स्वीकार
फरमाया जाकर अपीलाधीन आदेश की

2018

क्रियान्वित स्थगित फरमाई जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विचाराधीन प्रकरण मुख्य विवाद बिन्दु कृषि आराजी को बिना सक्षम आदेश के अकृषि उपयोग का है। जिसमे कृषि आराजी को संरक्षित रखने के लिये प्रथमतः मौके को परिवर्तित होने से रोका जाना ही आवश्यक होता है एवं अपीलार्थी विवादग्रस्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है जिन्हे सुनवाई का अवसर दिये बिना ही इकतरफा मे पारित अपीलाधीन आदेश के माध्यम से उनके खाते की आराजीयात के उपयोग-उपभोग से प्रतिबान्धित किया जाना भी उचित प्रतीत नही होने से न्यायहित मे अपीलार्थी की यह अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर आदेश जेर अपील दिनांक 09/10/2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर एक माह की अवधि मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर निस्तारण करे एवं तब तक विवादग्रस्त भूमि की मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे। तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर